प्रेस विज्ञप्ति

19.02.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोचीन जोनल कार्यालय ने 19.02.2025 को एर्नाकुलम ईडी/सीबीआई कोर्ट सीबीआई-1 में माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष 5 व्यक्तियों और 1 फर्म शैलेंद्र ममीदी, **सारथ**, जॉय थॉमस, **एमके कुरुविला, थॉमस कुरियन और मैसर्स पोवाथ ज्वैलर्स, एट्टुमानूर, कोट्टायम** के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। **माननीय न्यायालय ने उसी दिन यानी 19.02.2025 को संज्ञान लिया है।**

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी), कोचीन द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

उपरोक्त व्यक्तियों ने मेसर्स पोवाथ ज्वेलरी, कोट्टायम से संबंधित उचित आयकर का आकलन करने के मामले में भारत सरकार को धोखा देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची थी ताकि उक्त फर्म को अनुचित लाभ और पक्षपात करके आयकर के वास्तविक भुगतान से बचा जा सके। इस षडयंत्र के अनुसरण में, तिरुवनंतपुरम के तत्कालीन पीसीआईटी शैलेन्द्र ममिडी ने मेसर्स पोवाथ ज्वेलरी, कोट्टायम के मालिक जॉय थॉमस से 10 लाख रुपये की अवैध रिश्वत मांगी थी, ताकि मेसर्स पोवाथ ज्वेलरी के आयकर मूल्यांकन को अंतिम रूप दिया जा सके और सारथ, तत्कालीन आयकर अधिकारी, एम.के. कुरुविल्ला के माध्यम से उनके पक्ष में कम कर लगाया जा सके। जॉय थॉमस और मैथ्यू एलेक्स वेल्लपल्ली ने षडयंत्र के अनुसरण में पीएमएलए, 2002 के तहत अपराध करने के लिए उकसाया था।